न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री अरूण चन्द्र देराश्री पोस्ट ऑफिस के पास बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बनेडा।

प्रकरण संख्या :– 56/2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 24.04.2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा से प्राप्त सूचना, अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1198 दिनांक 30.06.2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 156/2024 नारू बनाम खाना वगै0 अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 29.11.2024 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया गया। आवेदनकर्ता को पारित निर्णय की प्रति तैयार की जाकर कार्यालय के पत्रांक 923 दिनांक 21.05.2025 से नकल प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु आवेदनकर्ता वांछित पत्रावली की नकल चाहते है। 4. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी किसी भी पक्षकार के अधिवक्ता नियुक्त नहीं है, तथा न्यायिक प्रकियाओं से संबंधित होने से केवल निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है, की नकल तैयार की जाकर संबंधित को उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया। परन्तु अपीलार्थी नकल लेने को तैयार नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01–07–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)